

WHEREAS the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of South Africa (hereinafter jointly referred to as "the Parties" and in the singular as "Party"), are desirous to consolidate and strengthen the friendly ties and reciprocal understanding between their peoples;

WHEREAS the Parties are conscious of the desirability of promoting to the greatest possible extent the mutual knowledge and understanding of their respective cultures and intellectual, educational, artistic, and sporting achievements, as well as their history and way of life, by means of friendly cooperation between their respective countries; and

WHEREAS the Parties are desirous to uplift and enhance the quality of life of their peoples;

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows:

ARTICLE 1

For the purpose of broadening and strengthening the ties between their countries, the Parties shall encourage cooperation and the exchange of knowledge, experience and achievements in the fields of education, arts, culture and sport.

ARTICLE 2

- (1) The Parties shall, in accordance with the aims of this Agreement, encourage the establishment of contact and co-operation between interested institutions, organisations and persons in both countries in the fields covered by this Agreement.
- (2) In the implementation of the provisions of this Agreement, due regard shall be given to the autonomy of the relevant institutions and bodies. Their freedom to enter into and maintain mutual relations and agreements shall be recognised, subject to the municipal law and constitution of the respective States.

ARTICLE 3

With a view to broadening and strengthening the ties between their countries, the Parties shall encourage cooperation in the various fields of education, arts, culture and sport. To this end, the Parties shall encourage :

- (a) cooperation between educational institutions, the granting of scholarships (for university and post university studies and research), exchange of persons at all levels of education and exchange of information on education;
- (b) the study of the languages, literature, culture and history of each other's country;
- (c) the development of cultural relations between their countries. For this purpose they shall encourage the exchange of study and lecture visits by specialists in this field as well as the exchange of literature and publications;
- (d) cooperation in various cultural fields of interest to both, including literature, exhibitions of art and artifacts, music, dance, drama, the exchange of books and other publications, cooperation between schools of art, associations of artists and writers, museums, libraries, archives and other cultural institutions, and the exchange of knowledge between conservation bodies relating to cultural heritage;
- (e) cooperation in the field of film/cinematography as well as visits by delegations and individual specialists in the field of film/cinematography;
- (f) cooperation in the various fields of sport, including direct contact between sporting associations and bodies; and
- (g) any other form of cooperation as may be mutually agreed upon between the Parties or relevant autonomous institutions in both countries.

ARTICLE 4

1. Each Party shall welcome the establishment on its territory of cultural institutions or friendship associations in accordance with its municipal law and general policy, it being understood that prior clearance of the Party concerned shall be obtained before any institution is established under this Article.
2. With due regard to the provisions of Article 2(2), the Parties shall encourage the conclusion of specific programmes of cooperation between the relevant cultural institutions and bodies.

ARTICLE 5

All activities carried out in terms of this Agreement shall be subject to the law operative in the respective countries.

ARTICLE 6

1. For the purpose of implementation of this Agreement a Joint Indo-South Africa Committee shall be established, which shall meet every two years or as mutually agreed upon by the Parties. The meetings shall be held alternately in the Republic of India and in the Republic of South Africa in order to discuss programmes of cooperation.
2. These programmes of cooperation, if approved by both Parties, shall be valid for specified periods and shall include concrete forms of cooperation, events and exchanges as well as the organisational and financial conditions for their implementation.

ARTICLE 7

Any dispute as to the interpretation and implementation of this Agreement shall be resolved through negotiations between the Parties.

ARTICLE 8

This Agreement may be amended by mutual agreement through an Exchange of Notes between the Parties. Such an amendment shall enter into force on the date of the Reply Note, accepting the proposed amendment.

ARTICLE 9

1. This Agreement shall enter into force when both Parties have notified each other in writing through the diplomatic channel that their respective constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. The date of entry into force shall be the date of the last notification.
2. This Agreement shall remain in force until terminated in terms of Article 10.


ARTICLE 10

Either Party may, by giving three months' written notice to the other Party through the diplomatic channel, terminate this Agreement at any time. Termination of this Agreement shall not affect any programmes undertaken prior to the termination of this Agreement, unless otherwise agreed to by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the representatives of the Parties, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in duplicate, in the Hindi and English languages, the two texts being equally authentic.

Done at New Delhi on this Fourth Day of December, 1996, corresponding to Thirteenth Day of Agrahayana, 1918 (SAKA), in two originals, each in Hindi and English languages, all the text being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA


(S.R. BOMMAI)
MINISTER OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


(P.H.M. MTSHALI)
MINISTER OF ARTS, CULTURE
SCIENCE & TECHNOLOGY

भारत गणराज्य की सरकार

और

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार

के बीच

शिक्षा, कलाओं, संस्कृति और खेलकूद

के क्षेत्रों में सहयोग

पर

करार

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार §जिन्हें इसके बाद संयुक्त रूप से "पक्षकारों" और एकल रूप से "पक्षकार" के रूप में संबोधित किया जाएगा§ अपनी जनता के बीच मित्रतापूर्ण संबंध और पारस्परिक मेल-मिलाप सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए इच्छुक हैं,

जबकि पक्षकार अपने संबंधित देशों के बीच मित्रतापूर्ण सहयोग द्वारा अधिकतम संभव-सीमा तक अपनी संबंधित संस्कृतियों और चौदिक, शैक्षिक, कलात्मक और खेलकूद संबंधी उपलब्धियों और उनके इतिहास तथा जीवन पद्धति का पारस्परिक ज्ञान और मेल-मिलाप बढ़ाने की वांछनीयता के प्रति जागरूक हैं, और,

जबकि पक्षकार अपनी-अपनी जनता के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए इच्छुक हैं,

अतः, अब पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

अनुच्छेद 1

अपने-अपने देशों के बीच संबंधों को व्यापक बनाने और उसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, पक्षकार शिक्षा, कलाओं, संस्कृति और खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग और उनमें ज्ञान, अनुभव और उपलब्धियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 2

§ 1 § इस करार के उद्देश्यों के अनुसार, पक्षकार दोनों देशों में इस करार द्वारा कवर किये गये क्षेत्रों में दिलचस्पी रखने वाली संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों के बीच संपर्क और सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे।

§ 2 § इस करार के उपबंधों के कार्यान्वयन में, प्रासंगिक संस्थाओं और निकायों की स्वायत्तता का उचित रूप से ख्याल रखा जायेगा। संबंधित राज्यों की म्युनिसिपल विधि और संविधान के अधीन पारस्परिक संबंध और करार करने तथा उन्हें बनाये रखने की उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दी जायेगी।

अनुच्छेद 3

दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक बनाने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पक्षकार शिक्षा, कलाओं, संस्कृति और खेलकूद के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। इस लक्ष्य हेतु, पक्षकार निम्न बातों को प्रोत्साहित करेंगे:

- § क § शैक्षिक संस्थाओं के बीच सहयोग, अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करना § विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयेत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए §, शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यक्तियों का आदान-प्रदान और शिक्षा पर सूचना का आदान-प्रदान,
- § ख § एक दूसरे के देश की भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और इतिहास का अध्ययन,
- § ग § उनके देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का विकास। इस उद्देश्य के लिए, वे इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन और व्याख्यान दौरों के आदान-प्रदान और साहित्य तथा प्रकाशनों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे,
- § घ § साहित्य, कला और शिल्प-तथ्यों की प्रदर्शनियों, संगीत, नृत्य, नाटक, पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों के आदान-प्रदान सहित दोनों देशों की रुचि के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग, कला स्कूलों, कलाकारों और लेखकों के संघों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच सहयोग तथा सांस्कृतिक विरासत से संबंधित संरक्षण निकायों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान,

- ॥ड॥ फिल्म/चल चित्रकारी के क्षेत्र में सहयोग तथा फिल्म/चल-चित्रकारी के क्षेत्र में शिष्टमंडलों और वैयक्तिक विशेषज्ञों द्वारा दौरे,
- ॥च॥ खेलकूद संघों तथा निकायों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क सहित खेलकूद के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, और
- ॥छ॥ पक्षकारों अथवा दोनों देशों में संगत स्वायत्त संस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से यथा सहमत सहयोग का कोई अन्य रूप।

अनुच्छेद 4

॥1॥ प्रत्येक पक्षकार अपनी म्यूनिसिपल विधि और सामान्य नीति के अनुसार अपने प्रदेश में सांस्कृतिक संस्थाओं और मित्रता संघों की स्थापना का स्वागत करेगा, परंतु इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी संस्थान की स्थापना के पूर्व संबंधित पक्षकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

2. अनुच्छेद 2॥2॥ के उपबंधों पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए, पक्षकार संगत सांस्कृतिक संस्थाओं और निकायों के बीच सहयोग के विशिष्ट कार्यक्रमों को सम्मन्न करने को प्रोत्साहन देंगे।

अनुच्छेद 5

इस करार के संदर्भ में सम्मन्न किए गए सभी कार्यकलाप संबंधित देशों में प्रचलित कानून के अधीन होंगे।

अनुच्छेद 6

1. इस करार के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ एक भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त समिति की स्थापना की जाएगी जिसकी बैठक दो वर्ष में अथवा दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति के अनुसार बुलाई जाएगी। बैठकें भारत गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में सहयोग कार्यक्रमों पर चर्चा करने हेतु बारी-बारी से आयोजित की जाएंगी।

2. सहयोग के ये कार्यक्रम, यदि दोनों पक्षकारों द्वारा अनुमोदित कर दिए जाते हैं, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होंगे तथा इनमें सहयोग, कार्यक्रमों और आदान-प्रदान के ठोस रूप तथा इनके कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक और वित्तीय शर्तें शामिल की जाएंगी।

अनुच्छेद 7

इस करार के निर्वचन और कार्यान्वयन की बाबत होने वाले किसी भी, विवाद का समाधान दोनों पक्षकारों के बीच बातचीत के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

इस करार में संशोधन दोनों पक्षकारों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान के माध्यम से पारस्परिक सहमति से किया जा सकता है। इस प्रकार का संशोधन प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने संबंधी जवाबी टिप्पणी की तारीख से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 9

1. यह करार तब प्रभावी होगा जब दोनों पक्षकार राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक दूसरे को यह अधिसूचित कर देंगे कि इस करार में प्रभावी होने संबंधी उनकी संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है। लागू करने की तारीख अंतिम अधिसूचना की तारीख होगी।

2. यह करार तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे अनुच्छेद 10 के संदर्भ में समाप्त नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 10

कोई भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को राजनयिक माध्यम से तीन माह का लिखित नोटिस देकर इस करार को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। यदि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हुई हो, तो इस करार की समाप्ति इस करार की समाप्ति से पूर्व शुरू किए गए किसी कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करेगी।

